

सेवाओं को पूरा करने के लिए घटाई गई समय-सीमा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मृत्यु के मामले में 45 दिनों में मिलने वाला स्थानांतरण अनुमति पत्र अब चार दिन में मिलेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में संपत्ति से जुड़े कामों सहित अन्य सेवाओं में लेटलतीफी नहीं चलेगी। कई सेवाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा को भी काफी हद तक घटाया गया है। तीन दिन में कब्जा प्रमाणपत्र जारी करना होगा तो 15 दिन में अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। सड़क की सफाई पांच दिन और पार्कों की मरम्मत सात दिन में करनी होगी।

सेवा का अधिकार आयोग ने एचएसवीपी की 43 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इससे पहले तय समय अवधि में 16 सेवाएं देनी होती थीं। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार पर

सख्ती

- एचएसवीपी में 43 सेवाएं अधिसूचित, इससे पहले देनी होती थी 16 सेवाएं
- मृत्यु के मामले में 45 दिनों में मिलने वाला स्थानांतरण पत्र अब चार दिन में मिलेगा

अंकुश लगाने और एचएसवीपी के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। वाहन डीड को जारी करने की समयावधि पांच दिन, प्रेश आवासीय भवन योजना की समयावधि तीन दिन और नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि 10 दिन से तीन दिन कर दी गई है। इससे आम जनता को काफी लाभ मिलेगा।